फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशीलाल पुत्र श्री लादुलाल गुर्जर नि. कुंदवा तहसील देवगढ जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 53/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांकः 19. 09. 2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा जरिये कमांकः सू.अ.अ. /2022/130–31 दिनांक 01.09.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा तैयार कर अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को पत्रांकः सू.अ.अ./2022/75 दिनांक 4.8.2022 से प्रतिलिपि शुल्क 2300/– जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना नहीं दी जा सकी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ द्वारा तैयार कर अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को प्रतिलिपि शुल्क 2300/–रू. जमा कराने हेतु लिखा जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं दी गई है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसरण में अपीलार्थी श्री बंशीलाल गुर्जर को 15 दिवस में कार्यालय में तलब किया जाकर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का वास्तविक प्रतिशुल्क कितना बनता है अपीलार्थी को समझाईश कर शुल्क जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उक्त अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)